न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 94/2018

आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2018/00455

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1. सोहनलाल पुत्र चेलाराम जाति सरगरा निवासी चण्डावल नगर		1. श्रीमति सीतादेवी पत्नी मगराज जाति सीरवी निवासी चण्डावल नगर 2. ग्राम पंचायत चण्डावल नगर, जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22/11/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 62/2002–03 दिनांक 05.10.2002 के संम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 7 (11) दिनांक 05.10.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं जैर निगरानी रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का खरीदसुदा आवासीय मकान ग्राम चण्डावल में आया हुआ स्थित है, जिसके पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति द्वारा प्रार्थी के आधिपत्य के मकान पर स्वयं का कब्जा होना बताते हुए उक्त मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 के पति द्वारा अपने आवेदन पत्र में मौके पर प्लोट अंकित किया है, जबकि मौके पर मकान निर्मित है। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार करवाया गया मौका नक्शा एवं मौका निरीक्षण में भी पंचो ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि मौके पर भूखण्ड है अथवा प्लोट। जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, वह किस स्थान पर चस्पा किया गया, किनके समक्ष चस्पा किया गया, कहीं भी अंकित नहीं है। सम्पूर्ण मिसल में किसी स्वतन्त्र गवाह के बयान नहीं है, एक ही गवाह फार्म में गोमतीदेवी एवं

अति० जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी के पति, जिसने पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जिसके बयान दर्ज किए गए है। गोमतीदेवी ने अपने बयानों में कहीं भी यह नहीं बताया कि अप्रार्थी का कब्जा है या उसके पति का कब्जा है एवं कितने वर्षो से कब्जा है, कुछ भी अंकित नहीं है। गोमतीदेवी के बयानों में मकान बताया है, जबकि सम्पूर्ण प्रक्रिया प्लॉट होने के आधार पर की गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा मिलावट करते हुए की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पटटे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति मगराज सिरवी ने विवादित भूमि पर प्लोट होना बताते हुए अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2002 को मिसल दर्ज कर ग्राम सचिव को नक्शा तैयार करने एवं मनोनीत सदस्यों को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए, किन्तु किन पंचो को मनोनीत किया गया, यह अंकित ही नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 20.08.2002 को नक्शा मौका एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने के कारण नियम 148 (2) के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया, वह किस स्थान पर चस्पा किया गया, यह अंकित नहीं है। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा भूमि प्लॉट के रूप में अपरिधरा होना बताया है, जबकि पंचायत द्वारा नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए है, विधे अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है। इस कारण प्रकरण हाजा में जो प्रश्नगत आज्ञा जारी की गई है, वह नियम 157 (ख) की परिधी में नहीं आता है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 62/2002–03 दिनांक 05.10.2002 के संम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 7 (11) दिनांक 05.10.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 0431 दिनांक 08.11.2002 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली